

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद देहरादून।

ईमेल—cfoddn.ukfs@gmail.com

पत्रांक: न-20/असुव्य (248)/2023

दिनांक: सितम्बर 13, 2023

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक

PURKAL YOUTH DEVELOPMENT SOCIETY

VILLAGE-PURKAL, POST OFFICE-BHAGWANTPUR

जनपद-देहरादून।

सन्दर्भ:-

अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थना पत्र यूआईडी नं०-34261310 दिनांक 29.08.2023 के द्वारा PURKAL YOUTH DEVELOPMENT SOCIETY, VILLAGE-PURKAL, POST OFFICE-BHAGWANTPUR, जनपद देहरादून की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी देहरादून की निरीक्षण आख्या दिनांक 13.09.2023 के अनुसार स्थापित अग्निशमन यंत्र कार्यशील दशा में है। उपकरणों का निर्धारित परीक्षण शुल्क राजकोष में जमा करा दिया गया है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। विद्यालय भवन के विस्तार/अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य है, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-घोषणा पत्र/Self Audit Report इस कार्यालय को ऑन लाईन/ऑफ लाईन माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः PURKAL YOUTH DEVELOPMENT SOCIETY, VILLAGE-PURKAL, POST OFFICE-BHAGWANTPUR, जनपद देहरादून को अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 वर्ष हेतु दिनांक 13 सितम्बर 2023 से 12 सितम्बर 2026 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा:-

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैट बैंक तथा सीढ़ियों सदैव अवरोध मुक्त रखी जाए।
2. आपके शैक्षणिक भवन के सभी कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों के संचालन तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
3. सभी अग्निशमन यंत्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/प्रबन्धक की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यंत्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः स्वामी/प्रबन्धक को अग्नि रोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. शैक्षणिक भवन में विद्युत यंत्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैंक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. शैक्षणिक भवन के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानको के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
6. शैक्षणिक भवन में संचालित लैब (कैमेस्ट्री, कम्प्यूटर आदि) में सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।
7. शैक्षणिक भवन के विद्युत पैनल के पास सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।
8. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नहीं किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह स्वामी/प्रबन्धक की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्नि दुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जाएगी।


(वी0 बी0 यादव)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।

अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निरीक्षण आख्यो फायर स्टेशन देहरादून:-

1	यू0आई0डी0 नम्बर	34261310
2	पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले अधिकारी का नाम	मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री एन0एस0 कुंवर
3	पूर्व ईकाई/संस्थान/भवन का नाम व पत्ता	PURKAL YOUTH DEVELOPMENT SOCIETY VILLAGE - PURKAL, POST OFFICE BHAGWANTPUR, DEHRADUN Uttarakhand 248009
4	ईकाई/संस्थान/भवन का स्थापना वर्ष	-
5	अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार	Annual Clearance
6	आवेदन की तिथि	29/08/2023
7	निरीक्षण की तिथि	04.09.2023
8	निरीक्षण आख्यो भेजने की तिथि	05.09.2023
9	स्वामी/प्रबन्धक का नाम	Arjun negi
10	स्वामी/प्रबन्धक का ईमेल आई डी	arjunnegi@purkal.org
11	स्वामी/प्रबन्धक का मोबाईल नम्बर	9997004975
12	प्लॉट एरिया वर्ग मीटर	6804.070
13	कवर्ड एरिया वर्ग मीटर में	3200
14	भवन की श्रेणी	स्कूल
15	भवन का सैट बैक	अग्र- 06 पृष्ठ- 1.5 साईड(1) 03 साईड(2) 02
16	ब्लॉको की संख्या	05
17	ईकाई /संस्थान/भवन की ऊंचाई मीटर में	15
18	ईकाई /संस्थान/भवन में तलों की संख्या	05
19	प्रत्येक तल का कवर्ड एरिया	-
20	प्रत्येक तल पर कक्षों की संख्या	03 प्रत्येक तल पर
21	बेसामेन्ट कवर्ड एरिया	-
22	ईकाई /संस्थान/भवन तक पहुंच मार्ग की स्थिति	छोटा वाहन
23	मुख्य मार्ग की चौड़ाई मीटर में	10
24	प्रवेश द्वार की चौड़ाई मीटर में	6
25	आन्तरिक मार्ग की चौड़ाई मीटर में	4
26	मुख्य मार्ग से भवन तक की दूरी मीटर	200
27	निकास हेतु जीनो की संख्या	02
28	जीनो की चौड़ाई मीटर	01
29	काशीडोर की चौड़ाई मीटर में	1.5
30	दरवाजो की संख्या	40
31	दरवाजो की चौड़ाई मीटर में	1.5
32	रैम्प की चौड़ाई मीटर में	-
33	फायर एक्सटिंग्यूशर की संख्या व प्रकार	41 सी0ओटू/एबीसी
34	हौजरील की कुल सं0(प्रत्येक तल पर)	01
35	डाउनकमर	-
36	राईजिंग मैन	-
37	यार्ड हाईड्रेन्ट	-
38	संवेदनशील भण्डारण स्थलो पर सिंप्रकलर्स सिस्टम	-
39	मैनुवली आपरेटेड फायर अलार्म	हैं

40	ऑटोमैटिक ऑपरेटेड फायर अलार्म	
41	भूमिगत पानी टैंक की क्षमता लीटर में	100000
42	टैरिस टैंक की क्षमता	
43	मैन फायर पम्प का प्रवाह	900 एल0पी0एम0 10 एच0पी0
44	डीजल पम्प की क्षमता व प्रवाह	—
45	जॉकी पम्प की क्षमता व प्रवाह	180 एल0पी0एम0
46	टैरिस फायर पम्प की क्षमता व प्रवाह	—
47	पम्प स्वचालित है या मैनुवल	मैनुवल
48	वाटर टैंक भरने हेतु स्थापित पम्प की कैंटेमरी/पम्प की क्षमता व प्रवाह	समरसंबुल
49	बोरिंग की परिधि	—
50	वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था	हो
51	ईकाई में उत्पादन	—
52	हैजार्ड की श्रेणी	—
53	यदि संस्थान में ज्वलनशील/खतरनाक रसायनों का भण्डारण किया जाता है तो विवरण व सुरक्षा प्राविकान	—
55	भवन का मानचित्र कम्पाउण्डिंग/ओटीएस में स्वीकृत है या नहीं	—

महोदय— वर्तमान समय में संस्थान में स्थापित अग्निशामन उपकरण कार्यशील दशा में है। अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निरीक्षण औख्या संस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित है।

Bom
 19/12/23
 आनन्दजी अधिकारी
 देहरादून

कार्यालय मुख्य अग्नि
पत्रांक न-20/असुव्य (09)/20-21.

शमन

अधिकारी

देहरादून।

दिनांक जनवरी 7 2020

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक
पी0 वाई0 डी0 एस0 लर्निंग एकेडमी
(P.Y.D.S Learning Academy)
पुरुकुल गांव, भगवन्तपुर
जनपद-देहरादून।

सन्दर्भ:- अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये यूनिक नम्बर 23961904 दिनांक 22.12.2019 के सम्बन्ध में।

आपके विद्यालय का निरीक्षण अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा किया गया। निरीक्षण आख्या दिनांक 05-01-2020 में आपके विद्यालय में स्थापित प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सन्तोषजनक इंगित करते हुये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान करने की संस्तुति की है।

अतः अग्निशमन अधिकारी देहरादून की निरीक्षण आख्या दिनांक 05-01-2020 के आधार पर आपके विद्यालय हेतु दिनांक 07-01-2020 से 06-01-2021 तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। साथ ही उक्त व्यवस्था के कार्यशील होने का प्रमाण-पत्र प्रति वर्ष लिया जाना अनिवार्य होगा। निर्देशित किया जाता है कि भवन के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अलग से अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेंगे एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव उच्च स्तर पर रखेंगे। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नहीं होगा। अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ़ न पाये जाने अथवा अकार्यशील दशा में पाये जाने पर यह प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।


(एन0 एस0 कुंवर)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।